AGRAWAL EXAMCART
Paper Pakka Fasega!

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम,1882

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882

A COMPLETE TEXTBOOK

सभी राज्यों के PCS-J, Civil Judge Junior Division, Higher Judiciary Services (HJS), Assistant District Prosecutions Office (ADPO), Assistant Public Prosecutor (APP) एवं विधि की अन्य परीक्षाओं के सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम,1882 पाठ्यक्रम पर एक सम्पूर्ण पुस्तक

★★★★★
Best Rated Books for all Judicial exams of all Public Service Commission

200+

अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु उपयोगी

Code	Price	Pages	Contact
CB188	₹ 49	64	+91-9258088445

भूमिका

'सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882' पुस्तक अपने सुधि पाठकों के हाथों में सौंपते हुये हमें अपार हर्ष एवं आनन्द का अनुभव हो रहा है। इस पुस्तक में हमने कानून सम्बन्धित परीक्षाओं में आने वाले समस्त सम्भावित प्रश्नों को समाहित करने का प्रयत्न किया है, जिससे परीक्षार्थी को प्रतियोगी परीक्षा में अधिक-से-अधिक अंक प्राप्त हो सकें।

हम आभारी हैं अग्रवाल Examcart के, जिन्होंने इस पुस्तक को छापने का निर्णय लेकर विद्यार्थियों की परीक्षागत कठिनाइयों को आसान करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

इसमें 'सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882' से सम्बन्धित अध्यायों में सभी धाराओं का समावेश किया गया है। आप अपने सुझावों तथा परामर्शों एवं पुस्तक की त्रुटियों से अवगत कराकर अवश्य ही अनुग्रहीत करें, जिससे आगामी संस्करण में इस प्रस्तुति को और अधिक उपयोगी बनाकर प्रस्तुत कर सकें। इस पुस्तक को पढ़कर यदि आपको सफलता प्राप्त होगी तो हम अपने इस प्रयास को सार्थक समझेंगे।

—Examcart Experts

विषय-सूची

		अध्याय	पृष्ठ संख्या
यूनिट I	:	**धारायें**	**[1-4]**
यूनिट II	:	**प्रस्तावना (धारा 1 से 4)**	**[5-8]**
		अध्याय 1 प्रारम्भिक (धारा 1 से 4)	5-7
		वस्तुनिष्ठ प्रश्न	**[7-8]**
यूनिट III	:	**सम्पत्ति अन्तरण (धारा 5 से 53क)**	**[9-25]**
		अध्याय 2 पक्षकारो के कार्य द्वारा सम्पत्ति अन्तरण के बारे में (धारा 5 से 53क)	9-22
		(क) जंगम रथावर सम्पत्ति का अन्तरण (धारा 5 से 37)	
		वस्तुनिष्ठ प्रश्न	**[22-25]**
यूनिट IV	:	**विक्रय (धारा 54 से 57)**	**[26-28]**
		अध्याय 3 रथावर सम्पत्ति के विक्रयों के विषय में (धारा 54 से 57)	26-28
		वस्तुनिष्ठ प्रश्न	**[28]**
यूनिट V	:	**बंधक (धारा 58 से 104)**	**[29-38]**
		अध्याय 4 रथावर सम्पत्ति के बन्धकों एवं भारों के विषय में (धारा 58 से 104)	29-33
		बन्धकदार के अधिकार एवं दायित्व	33-36
		वस्तुनिष्ठ प्रश्न	**[36-38]**
यूनिट VI	:	**पट्टा, दान आदि (धारा 105 से 137)**	**[39-47]**
		अध्याय 5 रथावर सम्पत्ति के पट्टों के विषय में (धारा 105 से 117)	39-44
		विनिमय के बारे में (धारा 118 से 121)	44
		अध्याय 7 दान (धारा 122 से 129)	44-46
		अध्याय 8 अनुयोज्य दावों के अन्तरण के बारे में (धारा 130 से 137)	46-47
		वस्तुनिष्ठ प्रश्न	**[47-50]**
यूनिट VII	:	**मॉडल पेपर**	**[51-55]**
यूनिट VIII	:	**मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न व उत्तर**	**[56-64]**

UNIT

I

धारायें

धारायें

धारा	
1.	संक्षिप्त नाम प्रारम्भ विस्तार
2.	अधिनियमों का निरसन किन्हीं अधिनियमितियों, प्रसंगतियों, अधिकारों, दायित्वों इत्यादि की व्यावृत्ति
3.	निर्वचन–खण्ड
4.	संविदाओं से सम्बन्धित अधिनियमितियों का संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अनुपूरक समझा जाना
5.	''सम्पत्ति के अन्तरण'' की परिभाषा
6.	क्या अन्तरित किया जा सकेगा
7.	अन्तरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति
8.	अन्तरण का प्रभाव
9.	मौखिक अन्तरण
10.	अन्य–संक्रामण अवरुद्ध करने वाली शर्त
11.	सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बन्धन
12.	दिवाले या प्रयतित अन्य–संक्रामण पर हित को पर्यवसेय बनाने वाली
13.	अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अन्तरण
14.	शाश्वतता के विरुद्ध नियम
15.	उस वर्ग को अन्तरण, जिसमें के कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अन्दर आते हैं
16.	अन्तरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना
17.	संचयन के लिए निर्देश
18.	लोक के लाभ के लिए शाश्वतिक अन्तरण
19.	निहित हित
20.	अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिये किये गये अन्तरण पर कब निहित हित अर्जित करता है
21.	समाश्रित हित
22.	किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अन्तरण जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करें
23.	अन्तरण जो, विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित है
24.	निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को अन्तरण जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हों।
25.	सशर्त अन्तरण
26.	पुरोभाव्य शर्त की पूर्ति
27.	एक व्यक्ति को सशर्त अन्तरण ऐसे अन्तरण के साथ जो पूर्विक व्ययन के निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा
28.	परतर अन्तरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने की शर्त पर आश्रित होना
29.	उत्तरभाव्य शर्त की पूर्ति
30.	पूर्विक व्ययन का परतर व्ययन की अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित न होना
31.	यह शर्त कि अन्तरण विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की दशा में प्रभावी न रहेगा
32.	ऐसी शर्त अविधिमान्य नहीं होनी चाहिये
33.	कार्य करने की शर्त पर अन्तरण जबकि उस कार्य के करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है
34.	कार्य करने की शर्त पर आश्रित अन्तरण जबकि समय विनिर्दिष्ट है
35.	निर्वाचन कब आवश्यक है
36.	हकदार व्यक्ति के हित के पर्यवसान पर कालिक संदायों का प्रभाजन
37.	विभाजन पर बाध्यता के फायदे को प्रभाजन

38.	कुछ परिस्थितियों में ही अन्तरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अन्तरण
39.	अन्तरण, जहाँ कि अन्य व्यक्ति भरण–पोषण का हकदार है
40.	भूमि के उपयोग पर निर्बन्धन लगाने वाली बाध्यता का या स्वामित्व से उपाबद्ध किन्तु हित या सुखाचार की कोटि में न आने वाली बाध्यता का बोझ
41.	दृश्यमान स्वामी द्वारा अन्तरण
42.	पूर्वतर अन्तरण का प्रतिसंहरण करने का प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा अन्तरण
43.	अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अन्तरण, जो अन्तरित सम्पत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है
44.	एक सह–स्वामी द्वारा अन्तरण
45.	प्रतिफलार्थ संयुक्त अन्तरण
46.	सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अन्तरण
47.	सामान्य सम्पत्ति में के अंश का सहस्वामियों द्वारा अन्तरण
48.	अन्तरण द्वारा सृष्ट अधिकारों की पूर्विकता
49.	बीमा पालिसी के अधीन अन्तरिती का अधिकार
50.	त्रुटियुक्त हक के अधीन धारक को सद्भावपूर्वक दिया गया भाटक
51.	त्रुटियुक्त हकों के अधीन सद्भावपूर्वक धारकों द्वारा की गयी अभिवृद्धियाँ
52.	सम्पत्ति–सम्बन्धी वाद के लम्बित रहते हुए सम्पत्ति का अन्तरण
53.	कपटपूर्ण अन्तरण
53-क.	भागिक पालन
54.	'विक्रय' की परिभाषा विक्रय कैसे किया जाता है विक्रय संविदा
55.	क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व
56.	पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबन्धन
57.	विल्लंगमों और उनसे मुक्त विक्रय के लिये न्यायालय द्वारा उपबन्ध
58.	''बन्धक'', ''बन्धककर्ता'', ''बन्धकदार'', ''बन्धक धन'' और ''बन्धक विलेख'' की परिभाषा
59.	बन्धक कब हस्तान्तरण–पत्र द्वारा किया जाना चाहिए
59-क.	बन्धककर्ताओं और बन्धकदारों के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें उनसे हक व्युत्पन्न हुआ है
60.	मोचन करने का बन्धककर्ता का अधिकार
	बन्धक–सम्पत्ति के भाग का मोचन
60-क.	बन्धककर्ता को प्रति–अन्तरण करने के बजाय किसी तृतीय पक्षकार को अन्तरण करने की बाध्यता
60-ख.	दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार
61.	पृथक्तया या साथ–साथ मोचन कराने का अधिकार
62.	कब्जा प्रत्युद्धरण का भोग–बन्धककर्ता का अधिकार
63.	बन्धक–सम्पत्ति में अनुवृद्धि अन्तरित स्वामित्व के आधार पर अर्जित अनुवृद्धि
63-क.	बन्धक–सम्पत्ति में अभिवृद्धि
64.	बन्धकित पट्टे का नवीकरण
65.	बन्धककर्ता द्वारा विवक्षित संविदाएँ
65-क.	बंधककर्ता की पट्टा करने की शक्ति
66.	कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा दुर्व्यय
67.	पुरोबंध या विक्रय का अधिकार
67-क.	बंधकदार कई बंधकों के आधार पर एक वाद लाने को कब आबद्ध होता है
68.	बंधक–धन के लिए वाद लाने का अधिकार
69.	विक्रय करने की शक्ति कब विधिमान्य होती है?
69-क.	रिसीवर की नियुक्ति
70.	बंधक–सम्पत्ति में अनुवृद्धि
71.	बन्धकित पट्टे का नवीकरण
72.	सकब्जा बन्धकदार के अधिकार

73.	राजस्व के लिए किये गये विक्रय के आगमों पर या अर्जन पर प्रतिकर पर अधिकार
74-75.	निरसित।
76.	सकब्जा बन्धकदार का दायित्व
77.	ब्याज के बदले में प्राप्तियाँ
78.	पूर्विक बंधकदार का मुल्तवी होना
79.	जब कि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है, तब अनिश्चित रकम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक
80.	निरसित।
81.	प्रतिभूतियों का क्रमबंधन
82.	बंधक–ऋण की बाबत अभिदाय
83.	बंधक मद्धे शोध्य धन का न्यायालय में निक्षेप करने की शक्ति
84.	ब्याज का बन्द हो जाना
85-90.	निरसित।
91.	वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे
92.	प्रत्यासन
93.	आबंधन का प्रतिषेध
94.	मध्यवर्ती बन्धकदार के अधिकार
95.	मोचन कराने वाले सह–बन्धककर्ता का व्यय पाने का अधिकार
96.	हक–विलेखों के निक्षेप द्वारा बन्धक
97.	निरसित।
98.	विलक्षण बन्धकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व
99.	निरसित।
100.	भार
101.	पाश्चिक विल्लंगमों के विद्यमान होने पर विलयन न होगा
102.	अभिकर्ता पर तामील या उसकी निविदा
103.	संविदा करने के लिए अक्षम व्यक्ति को या उस द्वारा सूचना इत्यादि
104.	नियम बनाने की शक्ति
105.	पट्टे की परिभाषा पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटक की परिभाषा
106.	लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि
107.	पट्टे कैसे किये जाते हैं?
108.	पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व (क) पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व (ख) पट्टेदार के अधिकार और दायित्व
109.	पट्टाकर्ता के अन्तरिती के अधिकार
110.	उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारम्भ होता है वर्ष के पट्टे की कालावधि पट्टे का पर्यवसान करने के लिए विकल्प
111.	पट्टे का पर्यवसान
112.	समपहरण का अधित्यजन
113.	छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन
114.	भाटक का संदाय न करने के कारण समपहरण से मुक्ति
114-क.	कुछ अन्य दशाओं में समपहरण से मुक्ति
115.	अभ्यर्पण और समपहरण का उपपट्टों पर प्रभाव
116.	अतिधारण का प्रभाव
117.	कृषि–प्रयोजनों वाले पट्टों को छूट
118.	''विनिमय'' की परिभाषा
119.	विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किये गये पक्षकार का अधिकार
120.	पक्षकारों के अधिकार और दायित्व
121.	धन का विनिमय
122.	''दान'' की परिभाषा
123.	अन्तरण कैसे किया जाता है
124.	वर्तमान और भावी सम्पत्ति का दान
125.	ऐसे कई व्यक्तियों को दान, जिनमें से एक प्रतिगृहीत नहीं करता है
126.	दान निलम्बित या प्रतिसंहृत कब किया जा सकेगा?
127.	दुर्भर दान निराश्रित व्यक्ति को दुर्भर दान

128.	सर्वस्व आदाता
129.	आसन्नमरण दान और मोहमेडन विधि की व्यावृत्ति
130.	अनुयोज्य दावों का अन्तरण
130-क.	निरसित।
131.	सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना
132.	अनुयोज्य दावे के अन्तरिती का दायित्व
133.	ऋणी की शोधन–क्षमता की वारंटी
134.	बन्धकित ऋण
135.	अग्नि बीमा पालिसी के अधीन के अधिकारों का समनुदेशन
135-क.	निरसित।
136.	न्यायालय से संसक्त आफिसरों की असामर्थ्य
137.	परक्राम्य लिखतों की व्यावृत्ति

❑❑